Speed post ।तीव्र डाक

भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक काकार्यालय माखपराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई-मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India

Violation letter/उल्लंघन पत्र

Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002 Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202)

Mine Code: 38RAJ24004

दिनांक : 07.10.2021

संख्या : RAJ/SRH/Lst-04

प्रेषित : Mine Agent,

Amli Limestone Mine

M/s Ultratech Nathdwara Cement limited,

Village: Binanigram, Taluka Pindwara,

District: Sirohi (Rajastaha),

PIN: 307031.

(e-mail: gajendra.s@adityabirla.com)

विषयः Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Amli Limestone Mine (ML no 6/94) in Sirohi district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 06/09/2021 by undersign in presence of Shri Bharat Gokharu, Mine Manager and Shri Mohammad Siddik, Geologist of your Mine:

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of online filed annual return for the year 2020-21, following discrepancies have been observed: (1) Part VII (cost of production): A total of Rs. 37177053.00 have been furnished under deprecation cost during the year under Part IIA, resulting the depreciation cost of Rs. 9.14 per ton of Limestone production, however, under part VII, Rs. 33.83 per tonne has been finished under depreciation. It shows that you have submitted incomplete or wrong or false information in annual return.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली. 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकारा को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की रिथति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

वरिष्ठ खनन भविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Sirohi (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

(दिलीप जैन) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो